BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
OA No. 40/2025(CZ)

IN THE MATTER OF:

Nagendra Singh ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MP & ORS. ....RESPONDENTS

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Joint Committee Report submitted in compliance of order dated 08.04.2025 passed by the Hon'ble NGT(CZ)		1-3
2.	Letter no. 5418 of SDO, Revenue, Uchera, satna dated 09.07.2025	1	4-10
3.	Photographs of inspection	2	11-12
4.	Proof of Service		13

Date: 08.08.2025 Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal through Counsel

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच प्रकरण क्रमांक 40 / 2025 नागेंद्र सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के संबंध में समिति का प्रतिवेदन

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच प्रकरण क्रमांक 40 / 2025 नागेंद्र सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के संबंध में माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 8.4.2025 को पारित आदेश में निम्न अनुसार समिति बनाकर स्थल का निरीक्षण करने हेतु एवं वस्त् स्थिति का विवरण एवं की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । समिति में निम्न अनुसार सदस्य हैं -

1. जिला कलेक्टर सतना के एक प्रतिनिधि

2.सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि

अपील में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर शिकायत प्रस्तुत की गई है-

1.जिला सतना अंतर्गत उचेहरा नगर परिषद के क्षेत्र में बरुआ नदी के किनारे बिना अनुमति के वृक्षों की कटाई की जाना

2. उचेहरा नगर परिषद क्षेत्र में बरुआ नदी के किनारे खसरा नंबर 203 एवं 604 मेंअवैध अतिक्रमण किया जाना।

3 उपरोक्त अतिक्रमण से बरुआ नदी का बहाव या स्वरूप में परिवर्तित होना।

समिति द्वारा दिनांक 20.6.2025 एवं दिनांक 11.7..2025 को स्थल निरीक्षण किया गया एवं जमीन केरिकॉर्ड के संबंध में तहसीलदार से जांच कर जानकारी चाही गई। निरीक्षण समय निम्न अनुसार अधिकारी उपस्थित रहे

1. श्री एसके द्विवेदी एस डी एम उचेहरा -कलेक्टर सतना प्रतिनिधि
2. श्री एसपी झा क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना - सदस्य सचिव प्रतिनिधि

स्थल निरीक्षण एवं तहसीलदार उचेहरा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार निम्न अनुसार तथ्य पाए गए- जांच प्रतिवेदन संलग्न है – संलग्नक- क 01

1.राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उचेहरा में शिकायत स्थल के पास बरुआ नदी के क्षेत्र की आराजी खसरा नंबर 24/1, 38, एवं 609 है । शिकायत में उल्लेखित खसरा नंबर 203 एवं 604 नदी का क्षेत्र नहीं है।

2. बरुआ नदी के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया परंतु नदी के आरजी खसरा नंबर 609 में श्री मोहम्मद उमर द्वारा 12 फीट x 18 फीट के क्षेत्र में पक्का मकान बनाकर एवं अस्थाई बा ड़ बनाकर टेंट का सामान रखकर अतिक्रमण होना पाया गया।

3.नदी के आराजी पर कटे हुए बबूल के पेड़ के 03 अवशेष पाए गए जो लगभग तीन माह पूर्व के प्रतीत होते हैं। कोई अन्य पेड़ों के काटे जाने के प्रमाण नहीं पाए गए।

4. नदी के बहाव की दिशा या स्वरूप पूर्व अनुसार पाए गए। नदी के बहाव की दिशा या स्वरूप में परिवर्तन होने के कोई प्रमाण नहीं पाएं गए।

5. शिकायत में उल्लेखित खसरा नंबर 203 मैं श्री महेश शर्मा का मकान बना पाया गया आराजी क्रमांक 203 में नदी के किनारे की तरफ 2000 वर्ग फीट क्षेत्र में मिट्टी डालकर गडढ़ा का भराव श्री महेश शर्मा द्वारा किया जाना पाया गया।

6. नदी के किनारे के पास आराजी नंबर 604 के विवादित स्थल पर 09 लोगों के 15 से 20 वर्ष पुराने घर बने होने पाए गए।

एक्शन टेकन रिपोर्ट

1. बरुआ नदी के आरजी खसरा नंबर 609 में श्री मोहम्मद उमर द्वारा 12 फीट x 18 फीट के क्षेत्र में पक्का मकान बनाकर एवं अस्थाई बाढ़ बनाकर टेंट का सामान रखकर अतिक्रमण पर तहसीलदार उचेहरा के यहां संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जो विचाराधीन है।

2. नदी के आराजी पर कटे हुए बबूल के पेड़ के 03 अवशेष पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रिया में है।

3. शिकायत मे उल्लेखित खसरा नंबर 203 जो नदी की आराजी मे नही है उसमे श्री महेश शर्मा का मकान बना पाया गया एवं 2000 वर्ग फीटक्षेत्र में मिट्टी डालकर गडढ़। का भराव किया गया है , उनका भूमि स्वामित्व विवादित है जिस पर दस्तावेजों की जांच कर राजस्व नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
संलग्नक - सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन संलग्न है

दिनांक -04.08.2025
स्थान - सतना

एस.पी.झा
क्षेत्रीय अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना
सदस्य सचिव प्रतिनिधि

एसके द्विवेदी
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
उचेहरा जिला सतना
कलेक्टर सतना प्रतिनिधि

ANNEXURE-1

संलग्नक-1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उचेहरा जिला सतना (म.प्र.)

क्रमांक/5518/अनु.अधि./2025 उचेहरा दिनांक 9/07/2025

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला सतना म.प्र.

विषय :- हल्का उचेहरा की आराजी क्र. 203, एवं 604 में प्रवाहित बरूआ नदी का नक्शा एवं माप के संबंध में।

संदर्भ :- राष्ट्रीय हरित ट्रियूबनल सेंट्रल जोन भोपाल का पत्र क्र. NGT-CZB/2025/106 भोपाल दिनांक 15/04/2025 एवं कार्यालय नगर परिषद उचेहरा के पत्र क्र. 333/न.प./राजस्व/2025 उचेहरा दिनांक 16/05/2025 एवं पत्र क्र. 551/ न.प./राजस्व/2025 उचेहरा दिनांक 06/06/2025.

-----000------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में तहसीलदार उचेहरा से जॉच कराई गई तहसीलदार उचेहरा द्वारा लेख किया गया कि दिनांक 02/07/2025 को सीमांकन दल गठित कर सीमांकन दल प्रभारी राजस्व निरीक्षक उचेहरा एवं अटरा के नेतृत्व में हल्का पटवारी उचेहरा, इचौल, तिघरा एवं पोंड़ी को लेख किया गया गठित दल द्वारा नगर परिषद उचेहरा के कर्मचारी व राजस्व निरीक्षक व सरहद्दी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर लेख किया कि ग्राम उचेहरा की आ.क्र. 203 एवं 604 में प्रवाहित बरूआ नदी का नक्शा एवं माप के संबंध में तथा बरूआ नदी में हरे पेंड़ों के काटने तथा नदी के स्वरूप परिवर्तन किये जाने की शिकायत के संबंध में उक्त आराजियों का सीमांकन रोवर मशीन की सहायता से शासकीय म.प्र. शासन की आ.क्र. 203 व 604 तथा बरूआ नदी की आराजी नं. 24/1, 38, 609 का किया गया। सीमांकन पश्चात् शासकीय आराजी 203 के पास बरूआ नदी की आराजी सुरक्षित पायी गई जहां पर हरे पेंड़ो के काटे जाने व नदी में अतिक्रमण व स्वरूप परिवर्तन किये जाने संबंधी कोई प्रमाण नहीं पाये जाते है। महेश शर्मा का मकान आ.क्र. 203 में बना पाया गया। आ.क्र. 203 में नदी के किनारे की तरफ मिट्टी डालकर 2000 वर्गफिट पर गढ़ढे का भराव महेश शर्मा द्वारा किया गया है।

आराजी नं. 604 के पास नदी की आ.नं. 609 में मोहम्मद उमर पिता अजीजुल रहमान द्वारा 12X18 फिट में पक्का मकान बनाकर व 12X52 फिट में अस्थायी बाड़ (बाड़ी) में टेंट का सामान रखकर अतिक्रमण पाया गया। मौके पर नदी की आराजी पर लगभग तीन माह पूर्व के तीन बबूल के ठूंठ कटे पाये गये जिसके काटे जाने के संबंध में किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं बतायी गई।

सीमांकन पश्चात् आराजी नं. 604 में विवादित स्थल पर 9(नौ) लोगों के लगभग 15-. 20 वर्ष पुराने मकान बने पाये गये जिसमें

1. रमेश पयासी पिता रामसजीवन पयासी
2. कमला पिता मुड़ाऊ यादव
3. रमेशचन्द्र सोनी
4. शंकर सिंह पिता विश्वनाथ सिंह राठौर
5. दीपांशु पिता युवराज समदरिया
6. मोहम्मद वहीदुर रहमान पिता अजीजुल रहमान
7. हजरत शाह पिता अजीजशाह
8. मोहम्मद उमर पिता अजीजुल रहमान
9. स्वपनिल निगम पिता बसंतलाल निगम

अतः तहसीलदार उचेहरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। तथा आराजी नं. 604 के पास नदी की आ.नं. 609 में मोहम्मद उमर पिता अजीजुल रहमान द्वारा 12X18 फिट में पक्का मकान बनाकर व 12X52 फिट में अस्थायी बाड़ (बाड़ी) में टेंट का सामान रखकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार उचेहरा के यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध कर संहिता की धारा-248 के तहत् विचाराधीन है। व तीन बबूल के ठूंठ कटे पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतएव प्रस्तुत प्रतिवेदन मय पंचनामा सहित संलग्न कर श्रीमान् की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

2/7/2025

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग उचेहरा
जिला सतना (म.प्र.)

स्थल पंचनामा

आज दिनांक 03/07/2025 को ग्राम ब्योहरा में श्री तहसीलदार महोदय ब्योहरा के पत्र क्र0 404/तहसील/2025 दि0 दिनांक 02/07/2025 के अनुसार गठित दल-रा0नि0 ब्योहरा, धौरा, पटवारी हल्का ब्योहरा, पटवारी हल्का ब्योहारी, पटवारी खिंघरा, पटवारी हल्का कोठी तथा नगर परिषद ब्योहरा के कर्म0 राजेश सिंह परिहार रा0नि0, महेन्द्र सिंह परिहार कम्प्यूटर ऑपरेटर सम्बन्धी कृषकों की उपस्थिति में WBT मोबाइल के पत्र के में ग्राम ब्योहरा की आ0नं. 203 एवं 604 में प्रवाहित नदी का नक्शा एवं माप के संबंध में। उक्त प्रवाहित आराजी स्वरूप परिवर्तन एवं हरे पेड़ों को काटने की शिकायत के संबंध उक्त आराजियों सीमांकन रोवर मशीन से शासकीय आराजी 203 व 604 तथा नदी की आराजी 24/1, 38, 609 का सीमांकन किया गया। सीमांकन पश्चात शासकीय आराजी 203 के पास स्थित नदी की आराजी 24/1, 38, सुरक्षित पाई गयी जहां पर हरे पेड़ों के काटे जाने व नदी में अतिक्रमण व स्वरूप परिवर्तन किये जाने संबंधी कोई प्रमाण नहीं पाये जाते हैं। महेश शर्मा का मकान आराजी नं. 203 में बना पाया गया। आराजी नं. 203 में नदी के किनारे की तरफ मिट्टी डालकर गड्ढे का भराव किया गया है। तथा आराजी नं. 604 के पास नदी व आराजी में मो0 आरिफ द्वारा 12x18 में पक्का मकान बनाकर व 52x11 में अस्थायी बाड़ में टेन्ट का सामान रखकर अतिक्रमण पाया गया। मौके पर लगभग तीन माह पूर्व 3 बबूल के ठूंठ कटे पाये गये जिसके काटे जाने के संबंध में किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं बताई गयी। सीमांकन पश्चात आ0नं. 604 में 9 लोगों के लगभग 15-20 वर्ष पुराने मकान बने पाये गये। जिनमें - ① रमेश प्रजापति पिता रामसजीवन प्रजापति ② कमला पिता कुशाल यादव ③ रमेशचन्द्र सोनी ④ शंकर सिंह पिता विश्वनाथ सिंह राठौर ⑤ दीपांशु पिता युवराज समदड़िया ⑥ मोहम्मद वहीदुर रहमान पिता अजीजुल रहमान ⑦ हजरत शाह पि0 अब्दुल ⑧ मोहम्मद उमर पिता अजीजुल रहमान ⑨ रूपलाल पिता कन्हैयालाल निगम।

(5)

मौके से पंचनामा लिखा गया तथा व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये।

तहसीलदार
तहसील उचेहरा
जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट अनुभाग उचेंहरा जिला सतना (म0प्र0)

कमांक / 5936 उप0 अधि0 / 2025 उचेंहरा दिनांक 20/5/25

प्रति,

तहसीलदार
तहसील उचेहरा
जिला सतना म0प्र0

विषयः— हल्का उचेहरा की आराजी क्रमाक 203 एवं 604 मे प्रवाहित बरूआ नदी का नक्शा एवं माप के सबंध मे।

संदर्भ:— राष्ट्रीय हरित ट्रियूबनल सेन्ट्रल जोन भोपाल का पत्र क्रमाक NGT-CZE /2025/106 भोपाल दिनांक 15.04.2025 एवं कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला सतना म0प्र0 के पत्र क्रमाक 333/न.पं./राजस्व/2025 उचेहरा दिनांक 16.05.2025

—0—

विषयार्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, संदर्भित पत्र के माध्यम से नगरपरिषद अधिकारी उचेहरा द्वारा उचेहरा की आराजी क्रमाक 203 एवं 604 मे प्रवाहित बरूआ नदी का नक्शा एवं माप के संबध मे पत्र के माध्यम से लेख किया गया है। जो मूल आपकी ओर प्रेषित है। आप उक्त संदर्भित पत्र मे उल्लेखित बिंदुओ व तथ्यो की जांच कर प्रतिवेदन 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करे।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट
अनुभाग —उचेहरा
जिला सतना म.प्र.

पृ0क्रमांक / 5936 / उप.मजि. / 2025 उचेंहरा दिनांक 20/5/25

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सतना म0प्र0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद उचेहरा जिला सतना म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट
अनुभाग उचेंहरा
जिला सतना म0प्र0

21-5-25

कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट अनुभाग उचेहरा जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक 5082/उप0 अधि0/ 2025 उचेहरा दिनांक 10/6/25

प्रति,

तहसीलदार
तहसील उचेहरा
जिला सतना म0प्र0

विषय:- हल्का उचेहरा की आराजी क्रमांक 203 एवं 604 मे प्रवाहित बरूआ नदी का नक्शा एवं माप के संबध मे।

संदर्भ:- राष्ट्रीय हरित ट्रियूबनल सेन्ट्रल जोन भोपाल का पत्र क्रमांक NGT-CZB /2025/106 भोपाल दिनांक 15.04.2025 एवं कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला सतना म0प्र0 के पत्र क्रमांक 333/न.पं./राजस्व/2025 उचेहरा दिनांक 16.05.2025 एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यलयीन पत्र क्रमांक 4936/उप.अधि./2025 उचेहरा दिनांक 20.05.2026 एवं कार्यालय नगरपरिषद उचेहरा जिला सतना म0प्र0 के पत्र क्रमांक 551/न.प. /राजस्व/2025 उचेहरा दिनांक 06.06.2025

—0—

विषयांर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करे, सदर्भित पत्र के माध्यम से नगरपरिषद अधिकारी उचेहरा द्वारा उचेहरा द्वारा लेख किया गया कि राष्ट्रीय हरित ट्रियूबनल सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक NGT - CZB /2025/106 भोपाल दिनांक 15.04. 2025 से हल्का उचेहरा की आराजी क्रमांक 203 एवं 604 मे प्रवाहित बरूआ नदी के किनारे हरे पेडो को काटकर नदी का स्वरूप परिवर्तित करने के सबध मे प्राप्त शिकायत अनुसार आराजी क्रमांक 203 एवं 604 मे प्रवाहित बरूआ नदी का सीमाकंन/माप कराकर नक्शा प्रदाय किये जाने हेतु निवेदन किया गया था किंतु आज दिनांक उक्त संबध मे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नही हुई है। चूंकि निर्धारित समयावधि के पूर्व उक्त प्रकरण के सबध मे समर्थनकारी दस्तावेज एवं प्रतिवेदन राष्ट्रीय हरित ट्रियूबनल सेन्ट्रल जोन भोपाल को प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है।

उचेहरा स्थित आराजी क्रमांक 203 एवं 604 मे प्रवाहित बरूआ नदी का सीमाकंन/माप कराकर नक्शा प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः आप आप उक्त संदर्भित पत्र के परिपालन मे आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुख्य नगरपरिषद अधिकारी उचेहरा को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए 1 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट
अनुभाग –उचेहरा
जिला सतना म.प्र.

पृ0क्रमांक/ 5083 /उप.मजि./2025 उचेहरा दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सतना म0प्र0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद उचेहरा जिला सतना म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट
अनुभाग उचेहरा
जिला सतना म0प्र0

सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन भोपाल के पत्र क्र० NGT-CZB-2025/106 भोपाल दिनांक 15/04/2025 के आदेश के अनुपालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखंड के कार्यालय द्वारा ग्राम उपहरा की आराजी 2034 604 खसरा नं. का सीमांकन कार्य किया जाना है। दिनांक 3/7/2025 को

अतः नगर कम पटवारी उपहरा व संबंधित सहखातेदार कृषक सूचित होवें।

(हस्ताक्षर) प०ह० 64

सहखातेदार
कृषक

(1) अब्दुल मजीद - (हस्ताक्षर)

नगर पटवारी उपहरा के समक्ष आहूत

(1) राकेश सिंह परिहार रा०नि० — (हस्ताक्षर)

(2) कृष्ण प्रताप सिंह रिछा — कृष्ण प्रताप सिंह (हस्ताक्षर)

House of Shri Mahesh Sharma and land filling

Encroachment on govt land khas ran 604

Encroachment in kh no 609

Land area near river

Joint Committee Report in OA 40/2025

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Mon, Aug 11, 2025 04:42 PM

Subject : Joint Committee Report in OA 40/2025 1 attachment

To : dm satna <dmsatna@nic.in>

Cc : spjhamp <spjhamp@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Sir

Please find enclosed the copy of joint committee report submitted by the MP PCB in compliance of order dated 08.04.2025 passed in OA 40/2025 **(Nagendra Jadhav v State of MP & Ors.)** by Hon'ble NGT (CZ). This mail may be treated as proof of service.

Regards

MP PCB

JCR in OA 40-2025 Nagendra singh Vs State of MP (2).pdf
5 MB